

23-8-18

वकील उमय पक्ष उप. वकील अपीलान्ट
वदत हेतु सफ़्त चाहे है पत्रावली वाले
वदत दिनांक 31-8-18 का पेश है। ✓

31-8-18

वकील उमय पक्ष उप. वकील अपीलान्ट
वदत हेतु सफ़्त चाहे है। पत्रावली
वाले वदत दिनांक 7/9/18 का पेश
है। ✓

27/9

वकील उमयपक्ष/अपीलाण्ट उप./पीठासीन अधिकारी
महोदय प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त/भ्रमण/अवकाश
पर होने के कारण पत्रावली गतादेशानुसार दिनांक
...18/9/18...को पेश हो। ✓

18/9

वकील उमयपक्ष/अपीलाण्ट उप./पीठासीन अधिकारी
महोदय प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त/भ्रमण/अवकाश
पर होने के कारण पत्रावली गतादेशानुसार दिनांक
...10/10/18...को पेश हो। ✓

दिनांक 10/10/18 को शक्य अवकाश होने के कारण

10/10/18

पत्रावली अपेश हुई। भेरीकार सरकार उप.।
अपीलांट एवं अपीलाण्ट के वकील को बार-2
आवाज लगाई गई। अपीलाण्ट असालतन एवं
वकालतन उप. नहीं है। पत्रावली का अवलोकन
किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है
कि पत्रावली वकील अपीलाण्ट को बहस हेतु पूर्व
में काफी अवसर प्रदान किए जा चुके हैं। लेकिन
वकील अपीलाण्ट द्वारा बहस हेतु बार-2 समय
चाहा गया है।

वकील अपीलांट एवं अपीलाण्ट को अंतिम
आवाज न्यायालय के समय समाप्त होने पर 5 PM
पर लगाई गई। अपीलांट या अपीलाण्ट का कोई वकील
उप. नहीं। इससे पता चलता है कि ~~पत्रावली~~

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामील में जारी हुए

3/4

अपीलाट उक्त अपील को आगे चलाने का इच्छुक नहीं है। इस कारण फावली अदम हाली, अदम पैरवी में खारिज किए जाने योग्य है। ३

अतः अपील अपीलार्थी अदम हाली, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। फावली फेंसल शुमार मानी जाकर नंबर से कम होकर बाद तकमिल दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 11/10/18 को सरे इजलास सुनाया गया।